न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2932–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–8–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी. नगर, भोपाल प्रकरण कमांक 11/अपील/12–13.

1– श्रीमती रिफत खान पुत्री एजाज अली सिद्दीकी
पत्नी शाहवर खान, निवासी सौकत मंजिल
मोती मस्जिद के पास, जिला भोपाल
2– असद सिद्दीकी पुत्र एजाज अली सिद्दीकी
निवासी 253 कलोवर सिटडेल
ग्राम दानापानी ग्राम आक्सफोर्ड के पास
पूणे (महाराष्ट्र)
3– तारिक मिर्जा पुत्र हमीद मिर्जा
निवासी शौकत महल
इकबाल मैदान, भोपाल .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– पुष्प मयूर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित
भोपाल द्वारा अध्यक्ष भूषण शुक्ला
पिता के.एल. शुक्ला
कार्यालय 34 घाटी, भड़भूजा
रेतघाट भोपाल
2– सपना अग्रवाल पत्नी अरूण अग्रवाल
निवासी 62, परस्पर कॉलौनी
चूना भट्टी, भोपाल
3– आर.डी. सिंह पुत्र स्व. सुन्दरलाल
निवासी म.नं. 49 एन–2
हबीबगंज, भोपाल
4– विनोद कुमार कथुरिआ
पुत्र एस.पी. कथुरिया
निवासी अरेरा कॉलौनी, भोपाल
5– सुरजीत सिंह पुत्र स्व. सरदार महेन्द्र सिंह सलुजा
6– अमरजीत कौर पत्नी सुरजीत सिंह
निवासीगण ईदगाह हिल्स, भोपाल

7– श्रीमती विद्याबाई पत्नी कमल चन्द जैन
निवासी 31, रचना नगर, भोपाल
8– विमल कुमार छज्जड पुत्र जेतराम छज्जड
निवासी एम.पी. नगर, भोपाल
9– वेभा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित
द्वारा वाईस प्रिसीडेन्ट अशोक गेहनानी
पुत्र परमानंद गेहनानी निवासी बी–57,
कमला नगर, भोपाल
10– शरद अग्निहोत्री पुत्र पी.एन. अग्निहोत्री
निवासी ई–4/177, अरेरा कॉलौनी, भोपाल
11– श्रीमती रजनी बुधोलिया पत्नी आर.सी. बुधोलिया
निवासी चिनार फार्च्युन सिटी, भोपाल .....अनावेदकगण

श्री वाई.के. सोनी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री नवाब खॉ, अभिभाषक, अनावेदक क. 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/11/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी. नगर, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–8–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार, राजधानी परियोजना टी.टी. नगर वृत्त भोपाल के प्रकरण कमांक 07/अ–6/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 30–11–2012 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, राजधानी परियोजना, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी. नगर, भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 11/अपील/12–13 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यावाही के दौरान आवेदकगण द्वारा इसा आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण प्रचलित है, अतः माननीय उच्च न्यायालय से प्रकरण के निराकरण तक अपील में प्रचलित कार्यवाही स्थगित रखी जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 7–8–2015 को आदेश पारित कर उक्त

आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि व्यवहार न्यायालय में वाद लंबित है तब व्यवहार न्यायालय से प्रकरण के निराकरण तक नामांतरण की कार्यवाही स्थगित कर देना चाहिए । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

(2) 1998 आर.एन. 115 में राजस्व मण्डल द्वारा इस यह न्यायिक सिद्धांत अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित, नामांतरण का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है ।

(3) यदि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कार्यवाही स्थगित नहीं की गई, और प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर दिया गया, तब प्रश्नाधीन भूमि अन्य व्यक्तियों को अंतरण किये जाने की संभावना बढ़ जायेगी ।

(4) प्रश्नाधीन संपतित के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी को माननीय उच्च न्यायालय से प्रकरण के निराकरण तक कार्यवाही स्थगित कर देना चाहिए थी, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायालय से आदेश पारित होने के पूर्व ही भूमि का विकय कर दिया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायालय से हार चुके हैं, और प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में दर्ज है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थगन नहीं दिया गया है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन सम्पूर्ण भूमि पर अनावेदक कमांक 1 का कब्जा है ।

5/ शेष अनावेदकगण एकपक्षीय हैं ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित प्रकरण में आवेदकगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण प्रचलित होने के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित कार्यवाही स्थगित किये जाने का अनुरोध किया गया है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रचलित प्रकरण में किसी प्रकार का कोई स्थगन नहीं दिया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी. नगर, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–8–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर